न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्याः— 51/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.सुन्दर पत्नि श्री भंवरलाल जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01..राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थितिः—

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा उपस्थित।

आदेश   निर्णय 6/6/2022

पत्रावली आज पेश हुई। सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी की कब्जुसदा खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 101/9 रकबा 06 बीधा 05 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम सालावास , तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित है जिस पर प्रार्थीनी बहैसियत खातेदार के काबिज काश्त हैं। प्रार्थीनी के खसरा संख्या 101/9 की भूमि के पश्चिमी दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ है जो कि वक्त सेटलमेन्ट से राजस्व नक्शें में दर्ज है उक्त कटाणी रास्ते के पश्चात खसरा संख्या 104 आया हुआ स्थित है यानि कटाणी रास्ता खसरा संख्या 101/9 की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। प्रार्थीनी अपने खसरा संख्या 101/9 की पश्चिमी सीमा पर स्थित कटाणी रास्ते की स्थिति को लेकर एवं पडौसी खातेदारों के मध्य खसरा संख्या 101/9 की सीमाओं को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसको ध्यान में रखतें हुए प्रार्थीनी अपने खसरा नम्बर 101/9 का सीमाज्ञान श्रीमान तहसीलदार साहब लूणी के आदेश से दिनांक 30.06.2018 को करवा दिया जिससे प्रार्थीनी को अपने खसरें की सीमाओं का एवं कटाणी रास्तें की स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो गया इसलिए प्रार्थीनी अपने खेत खसरा संख्या 101/9 की पत्थरगढी करवाना चाहती हैं जिससे कि प्रार्थीनी का कटाणी रास्ते को लेकर अथवा अन्य कोई विवाद अपने खेत की सीमाओं को लेकर नहीं हो। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार लूणी का आदेश दिया जावें कि प्रार्थी के खसरा संख्या 101/9 की पत्थरगढी की जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं प्रकरण के संबंध में तहसीलदार लूणी से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर तहसीलदार लूणी द्वारा इस प्रकरण के संबंध में जरिये क्रमांक/भू.अ./18/3921 दिनांक 24.10.2018 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गयी। परन्तु उक्त रिपोर्ट में उक्त खसरा संख्या बाबत कोई उल्लेख नही है कि सीमा विवाद हो तथा किस खातेदार के हैं।

प्रकरण के बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया।चूंकी इस प्रकरण में तहसीलदार लूणी के आदेश से सीमाज्ञान हो चुका हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की राजस्व लटठे नक्शें में भी तरमीम दर्ज हैं।

परन्तु उक्त खसरा सख्या 101/9 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि बाबत किस खसरा बाबत विवाद है वो स्पष्ट नही है और ना ही तहसीलदार की रिपोर्ट में विवाद होने का प्रकट होता है और ना ही विवाद किस खातेदार से है उसे पक्षकार नही बनाया गया हैं इस तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने उचित प्रतीत होता है।

अत– प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दााखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)